न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 32/अपील/2025	23.06.2025	16.09.2025
(GCMS No. 2025/72)		

उच्छबलाल आ. छीतरलाल मीणा,
निवासी ग्राम गुमानपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी, जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 09/2024 पर पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन आदेश से ग्राम मांगली की कृषि भूमि खसरा सं. 271 में से रकबा 0.1135 हैक्टेयर भूमि खातेदार द्वारा रास्ते के लिए समर्पित कर दिये जाने से समर्पण स्वीकार कर कब्जा राज लेने एवं राजस्व अभिलेख में अमलदरामद की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 32/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/72 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 271 रकबा 1.9610 है0 एवं 278 रकबा 0.0385 है0 किता 2 कुल रकबा 1.9995 हैक्टेयर वाकेग्राम मांगली में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में अपीलांट के सम्पूर्ण खाते दर्ज है। अपीलांट के खाते की उक्त भूमि का दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा सार्वजनिक रास्ता खसरा सं. 276 किस्म गे0मु0रास्ता से जुडा हुआ है। उक्त गे0मु0रास्ते की भूमि का उत्तरी हिस्सा अपीलांट के खाते की भूमि के मध्य की मेढ पर स्थित होने से अपीलांट को आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्ता सदैव से उपलब्ध है। अपीलांट ने अपने खाते की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन फूड प्रोसेसिंग यूनिट के औद्योगिक प्रयोजन से करवाया है। अपीलांट पढा लिखा व्यक्ति नहीं है, हस्ताक्षर करना जानता है, अपीलांट को भू उपयोग परिवर्तन बाबत प्रचलित नियमों की जानकारी नहीं है। इसलिए सहवन भूलवश एवं तकनीकी ज्ञान के बिना अपीलांट द्वारा खाते की भूमि खसरा संख्या 271 में से रकबा 0.1135 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिए समर्पित की जाकर राजस्व रिकार्ड में नया खसरा संख्या 822/271 रकबा 0.1135 हैक्टेयर किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलांट की भूमि पर आने–जाने के लिए पहुँचमार्ग पहले से ही खसरा संख्या 276 गै0मु0रास्ता उपलब्ध है। वास्तव में इस प्रविष्टि का एवं समर्पण का अपीलांट को ज्ञान ही नहीं था और यह प्रक्रिया सहवन भूलवश, सोचे समझे बिना, किसी भी प्रकार से कानूनी आवश्यकता के बिना हो गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.05.2025 को अपने खाते की भूमि की जमाबंदी का अवलोकन करने पर जानकारी मिली कि उसके खाते की भूमि खसरा संख्या 271 में से खसरा संख्या 822/271 रकबा 0.1135 हैक्टेयर गे0मु0रास्ता दर्ज कर दिया गया है। इससे अपीलांट को भारी नुकसान होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। इस प्रविष्टि से अपीलांट इस भूमि का स्वामी नहीं रहा तथा इसका उपयोग उपभोग भी नहीं कर सकेगा बल्कि अन्य व्यक्ति इस भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग करना चाहेगे। तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 09/2024 निर्णय दिनांक 25.10.2024 से अपीलांट के खाते की भूमि में से 1135 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में समर्पित की जाना मानकर भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो तथ्यात्मक एवं कानूनी रूप से अवैध है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 26.05.2025 को हुई, जिसकी नकल दिनांक 09.06.2025 को प्राप्त हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य पेश है। धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2025 को निरस्त किया जाकर रास्ते की भूमि वापस अपीलांटस के खाते दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रथमतः अपील अवधि बाधित है। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.10.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने खाते की कृषि भूमि खसरा सं. 271 में से 1135 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु सपर्मण करने बाबत प्रार्थना पत्र मय समर्पणनामा प्रस्तुत किये जाने पर बाद जांच रिपोर्ट उक्त भूमि आदेश दिनांक 25.10.2024 को पक्ष सरकार समर्पण स्वीकार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को पृष्ठांकित कर खातेदार अपीलांट को दिनांक 25.10.24 को प्रेषित किया गया। इसके बावजूद यह अपील दिनांक 10.06.2025 को मियाद बाहर पेश की गई, जो स्पष्ट रूप से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्तनीय है। गुणावगुण पर अपीलांट की ओर से अपीलाधीन आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं बताई गई अपितु स्वयं के भूलवश एवं सोचे समझे बिना, किसी प्रकार की कानूनी आवश्यकता के बिना समर्पण कर दिया जाना स्वीकार किया है। पेरोकार सरकार द्वारा अपीलाधीन आदेश नियमानुसार एवं निर्धारित प्रकिया से किया जाने से विधिसम्मत होना बताते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया, जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2024 को पारित किया गया है, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 10.06.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.05.2025 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम मांगली, तहसील बून्दी में विस्थित आराजी खसरा संख्या 271 रकबा 1.9610 हैक्टेयर किस्म नहरी–2 उच्छबलाल पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुमानपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी की खातेदारी की भूमि है। खातेदार उच्छबलाल द्वारा दिनांक 17.10.2024 को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर गवाहान जगदीश मीणा एवं नरेश प्रजापत निवासी गुमानपुरा की साक्षी में समर्पणपत्र प्रस्तुत कर वाकेग्राम मांगली की स्वयं के खातेदारी भूमि खसरा स. 271 रकबा 1.9610 हैक्टेयर में से 1135 वर्गमीटर भूमि राजहित में रास्ते हेतु समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 09/2024 पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर मौका स्थिति की जांच करवाई जाकर भूमि समर्पण में कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त भूमि का रास्ते के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 59 के अनुसार राज्यहित में समर्पण स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 25.10.2024 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की जाकर आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के तहत खातेदार अभिधारी भूमि में अपने अधिकार भू–धारक (राज्य) को अभ्यर्पित कर सकता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 59 के तहत अभ्यर्पण जोत पर भू–धारक प्रवेश कर उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। भू धारक (तहसीलदार बून्दी) द्वारा नियमों में निहित विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2024 पारित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी। अपीलांट द्वारा भी अपील में ऐसा कोई कानूनी बिन्दू अंकित नहीं किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट हो सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक अपीलांट द्वारा समर्पण की कार्यवाही स्वयं की भूलवश, सोचे समझे बिना, किसी भी प्रकार से कानूनी आवश्यकता के बिना किये जाने का प्रश्न है तो अपीलांट अपना विचार परिवर्तन हो जाने मात्र से अब अपील में कानूनन कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते